

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सूरजगढ जिला झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :-

कविता गोदारा, (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद सं.- 10/2022

1. मानसिंह पुत्र सुल्तान सिंह ।
2. करण सिंह पुत्र सुल्तान सिंह ।
3. सुभाष पुत्र अमीलाल ।
4. मातूराम पुत्र नागरमल ।

समस्त जाति नाई हाल निवासी अडुका तहसील सुरजगढ जिला झुंझुनू राजस्थान ।


- वादीगण

बनाम

1. उम्मेदसिंह पुत्र नागरमल ।
2. सुबेसिंह पुत्र नागरमल ।
3. कृष्ण पुत्र रामसिंह ।
4. नितेश पुत्र रामसिंह ।
5. गुरुदयाल पुत्र हेतराम ।
6. सांवरमल पुत्र हेतराम ।
7. शेरसिंह पुत्र हेतराम ।
8. बनारसी पत्नि हेतराम ।
9. अंजू पुत्री चंदगी ।
10. गुलाब पुत्र चंदगी ।
11. मंजू पुत्री चंदगी ।
12. रामचंद्र पुत्र चंदगी ।
13. शांति पत्नी चंदगी ।
14. शीशराम पुत्र चंदगी ।
15. संजू पुत्री चंदगी ।
16. सुमन पुत्री चंदगी ।
17. जगदीश पुत्र बिरजा ।
18. ओमप्रकाश पुत्र नारायण ।
19. हरिकृष्ण पुत्र नारायण ।
20. रोशन पुत्र नारायण ।
21. भंवरलाल पुत्र नारायण ।
22. राजेश पुत्र नारायण ।
23. मदन पुत्र नारायण ।
24. रामकुमार पुत्र नारायण ।
25. घिसाराम पुत्र शंकर ।
26. सुरेश पुत्र शंकर ।
27. सुरेन्द्र पुत्र शंकर ।
28. वेदकोर पत्नी शंकर ।
29. सुभाषचंद्र पुत्र हनुमान ।

समस्त जाति नाई हाल निवासी अडुका तहसील सुरजगढ जिला झुंझुनू राजस्थान ।

30. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार सूरजगढ तहसील सूरजगढ जिला झुंझुनू राजस्थान


उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ - प्रतिवादीगण

दावा बाबत खाता विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा

:: निर्णय ::


दिनांक - 20.07.2023

वादी द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा है कि-

- क) यह कि विवादित भूमि खेत ख०न० 464 रकबा 0.04 है०, ख०न० 465 रकबा 1.77 है०, ख०न० 532 रकबा 0.04 है०, कुल किता 3 कुल रकबा 1.85 है० स्थित ग्राम अडुका तहसील सूरजगढ़ में वादीगण नं. 1, 2 का संयुक्त हिस्सा 2/72 अलगदर्ज, वादी नं. 3 का हिस्सा 1/36 अलग दर्ज, का खातेदार काश्तकार अलग से घोषित किया जाकर वादीगण की भूमि का अलग से राजस्व रिकॉर्ड बनाया जावे तथा पर्चा लगान भी वादीगण का अलग से कायम किया जावे।
- ख) यह कि विवादित कृषि भूमि का वादीगण व प्रतिवादीगण न० 01 लगायत 29 के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्से अनुसार व भौतिक विभाजन के अनुसार बाई मीट्स व बाई बाउण्डस के आधार पर विभाजन किया जाकर वादी का राजस्व रिकॉर्ड अलग दर्ज किया जाकर वादी को विभाजन में प्राप्त हिस्से की भूमि पर अलग से कब्जा दिलाया जाकर अलग लगान कायम किया जाना फरमाया जावे।
- ग) यह कि प्रतिवादीगण न० 1 लगायत 29 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे वादीगण के हिस्से की भूमि के कब्जा काश्त में दखल पैदा न करें तथा उनके उपयोग व उपभोग में किसी प्रकार की कोई बाधा कारित ना करें।
- ग) यह कि खर्चा मुकदमा वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलवाया जावें।
- ग) यह कि अन्य सिद्धी जो वादीगण के हक में हो तथा किसी कारणवश भूल से चाही जाने से रह गई हो वह भी धारा 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत दिलवायी जावें।

दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण की तामिल जरिये सम्मन जारी की गयी। वादीगण की ओर से सुश्री संजू तंवर ने वकालतनामा पेश किया व प्रतिवादीगण न तो स्वयं हाजीर आया न ही उनकी ओर से कोई अधिवक्ता हाजीर आया। अतः प्रतिवादीगण के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। वकिल वादी द्वारा वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख नकल जमाबंदी सं० 2074-77, नक्शा ट्रेस एवं विभाजन प्रस्ताव।



उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़

राजस्व वाद संख्या:- 10/2022
मानसिंह वगै० बनाम उम्मेद सिंह वगै०
निर्णय दिनांक:- 20.07.2023

हस सुनी गई।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादीगण की ओर से अधिवक्ता द्वारा दावा डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया। दावे पर बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। मनन किया गया। अतः न्यायालय वाद वादीगण डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है।

--: आदेश:-

न्यायालय वाद वादीगण डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः विवादित भूमि खेत ख०न० 464 रकबा 0.04 है०, ख०न० 465 रकबा 1.77 है०, ख०न० 532 रकबा 0.04 है०, कुल किता 3 कुल रकबा 1.85 है० वाके ग्राम अडुका तहसील सूरजगढ़ का वादी एवं प्रतिवादीगण न० 01 लगायत 29 का तहसीलदार सूरजगढ़ से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव क्रमांक भू.अ. /2023/294 दिनांक 17.02.2023 के अनुसार वाद वादीगण डिक्री किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा। उक्तानुसार ही तहसीलदार सूरजगढ़ को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जाते हैं।


(कविता गोदारा)
उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ़
उपखण्ड अधिकारी,

पदेन उप जिला कलक्टर,
सूरजगढ़

यह निर्णय आज दिनांक 20.07.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर इस न्यायालय की मुद्रा से खुल्ले कोर्ट में सुनाया गया।


(कविता गोदारा)
उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ़
उपखण्ड अधिकारी,

पदेन उप जिला कलक्टर,
सूरजगढ़

राजस्व वाद संख्या:- 10/2022
मानसिंह वगै० बनाम उम्मेद सिंह वगै०
निर्णय दिनांक:- 20.07.2023

मूल वाद में (अन्तिम) डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सूरजगढ जिला झुंझुनूं
पीठासीन अधिकारी :- कविता गोदारा, (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद सं.- 10/2021

निर्णय दिनांक :- 20-07-2023

मानसिंह वगै० बनाम उम्मेद सिंह वगै०


दावा बाबत खाता विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा

वादी की ओर से सुश्री संजू तंवर एड० की उपस्थिती में इस वाद में आज तारीख 20.07.2023 को कविता गोदारा, उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि-

“ न्यायालय वाद वादीगण डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः विवादित भूमि खेत ख०न० 464 रकबा 0.04 है०, ख०न० 465 रकबा 1.77 है०, ख०न० 532 रकबा 0.04 है०, कुल किता 3 कुल रकबा 1.85 है० वाके ग्राम अडुका तहसील सूरजगढ का वादी एवं प्रतिवादीगण न० 01 लगायत 29 का तहसीलदार सूरजगढ से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव क्रमांक भू.अ. /2023/294 दिनांक 17.02.2023 के अनुसार वाद वादीगण डिक्री किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा। उक्तानुसार ही तहसीलदार सूरजगढ को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जाते हैं।”

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 20.07.2023 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।


(कविता गोदारा)
उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ
उपखण्ड अधिकारी,
पदेन सहायक जिला कलक्टर,
सूरजगढ